43

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(ए-अनुभाग)

संख्याः जीएडी-ए(ए)3-1/77-III तारीख शिमला-2 10/3/1999.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पर्यवेक्षक(स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए, इस सूचना के साथ संलग्न उपबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय(सामान्य प्रशासन विभाग) पर्यवेक्षक (स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1999 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा

आयुक्त एवं सचिव(सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः जीएडी-ए(ए)3-1/77-III दिनांक शिमला-2 1/3/1999.
प्रतिलिपि अग्रेषित है:-

1. समस्त सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 5 प्रतियाँ इस विभाग को आगामी कार्यवाई हेतु भेजें।
4. सहायक विधायी प्रारूपकार विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2।
5. संरक्षण नस्ति 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव(सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

....

उपबन्ध "क"

सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पर्यवेक्षक (स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद हेतु भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	पर्यवेक्षक (स्टाफ कार)
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	रु0 4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन।
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा	चालकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा काल हो।

पृष्ठ-2 पर जारी/-

§।§ प्रोन्नति के सभी मामलों में पद नियमित नियुक्ति से पूर्व संमीर्ण पद में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी, बशर्ते कि संमीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो;

§क§ उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल §31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा, नियमित सेवा/नियुक्ति सहित i.e followed by regular service/appointment को शामिल करके§ के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे।

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में विहित सेवा को भी कम होगी, हो।

परन्तु यह और भी कि, वहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने कारण सम्बन्धि विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल§ रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्वीसीज§ रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हो या जिसे एक्स-सर्विसमैन§ रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्वीसिज§ रूल्ज 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हो।

(45)

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ती से पूर्व 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी। बशर्ते कि संमीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतू निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो ।

परन्तु 31.3.98 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाइकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना;	जैसी की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित गई हो।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा	लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16. आरक्षण :	उक्त सेवा में नियुक्त, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातीयों/अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहां कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

...